छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-14

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 7 मार्च, 2013

(फाल्गुन-16, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05, 07 से 10 एवं 12 से 17 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 06 एवं 11 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः डॉ.शक्राजीत नायक एवं श्री कुलदीप सिंह जुनेजा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. सदन को सूचना
राजिम कुंभ जाने संबंधी

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 7 मार्च, 2013 को राजिम कुंभ में सम्मिलित होने के लिए माननीय मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों के लिए बस की व्यवस्था की गई है।

विधान सभा परिसर से सायं 5.30 बजे बस राजिम के लिए प्रस्थान करेगी।

माननीय मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस सुविधा का लाभ लेवें।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला सहकारी बैंक, लोरमी द्वारा किसानों को नकली नोटों का भुगतान किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा किसानों से प्रमाणित बीज खरीदने से इंकार किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने हाईस्कूलों के लिये भवन निर्माण किये जाने,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने संरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने, तथा

(4) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर विकासखंड के ग्राम मुक्ता एवं घोड़ाडीपा में स्थायी विद्युत कनेक्शन लगाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयी :-

(1) श्री रामदेव राम

(2) श्री अमितेश शुक्ल

(3) श्री चैतराम साहू

(4) श्री सौरभ सिंह

6.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय खाद्य मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

श्री टी.एस.सिंहदेव,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री फूलचंद सिंह, मोहम्मद अकबर, देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, खेदूराम साहू, (भोलाराम साहू, चैतराम साहू-अनुपस्थित), शिवराज सिंह उसारे, बैदूराम कश्यप, सौरभ सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा, दूजराम बौद्ध, रामजी भारती।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-9 पर डॉ. हरिदास भारद्वाज, रामदेव राम **मांग संख्या-8 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री रामदेव राम, सौरभ सिंह, हृदयराम राठिया, **मांग संख्या-35 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-58 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (चर्चा अपूर्ण)

सायं 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 8 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 17 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा